

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 8 / 2023 (अपील)

उनवान

प्रहलाद पुत्र चतुर्भुज जाति मीना निवासी डोबडा तहसील
सांगोद जिला कोटा (अपीलाण्ट)

बनाम


राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा
(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- 1. श्री रघुवीर सिंह राटोड (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 02.12.2022 मि0नं0 589 / 2022
न्यायालय तहसीलदार, सांगोद, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 17.10.2024

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुए।
3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को वाके ग्राम डोबडा की आराजी खसरा नम्बर 646, रकबा 0.16 हैक्टर से बेदखल करने का तथा 64/-रूपये तावान वसूल करने का तथा 30 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाण्ट को अपनी जवाब देही करने का मौका दिये बिना ही व पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध हुऐ बिना ही अपीलाण्ट के विरुद्ध आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है, ना ही उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है, कब्जा छोड दिया है, तावान जमा करवा दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।


अति. जिला कलेक्टर
कोटा


रेस्पोजेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय परोकार का बहस में कथन है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वाके ग्राम डोबडा की आराजी खसरा नम्बर 646, रकबा 0.16 हैक्टर से बेदखल करने का तथा 64/-रूपये तावान वसूल करने का तथा 30 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को अपनी जवाब देही करने का मौका दिये बिना ही व पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध हुऐ बिना ही अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है, ना ही उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है, कब्जा छोड दिया है, तावान जमा करवा दिया है। रेस्पोजेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय परोकार का बहस में कथन रहा है कि "अपीलान्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अपीलान्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम डोबडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चरागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिए इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलान्ट अप्रार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया गया है, एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से करावे। अपीलान्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर ही निर्णय जैर अपील से अपीलान्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा


(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा, जिला कोटा